फर्द अहकाम

फूलचन्द बनाम तहसीलदार सांगानेर

प्रार्थना पत्र संख्याः ५७ /2024

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21.03.2024	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् प्रार्थी की हिस्सा भूमि जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सही अंकन कराने का पेश किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम मानपुर नांगलिया व ग्राम कंवरपुरा, पटवार हल्का बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में प्रार्थी कृषक हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम मुल्या पुत्र रूपा दर्ज है जबकि प्रार्थी का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों व राजकीय सेवा में कार्यरत होने के रेकार्ड अनुसार नाम फूलचन्द शर्मा पुत्र स्व०श्री रूपनारायण शर्मा है, जो एक ही व्यक्ति के नाम है। इस संबंध में पटवारी, ग्राम पंचायत बीलवा की फर्द रिपोर्ट की फोटो प्रति, तहसीलदार (भू.अ.), सांगानेर के द्वारा दुरूस्त किये जाने की अनुशंसा की फोटो प्रति, जमाबन्दी की प्रतिलिपि तथा प्रार्थी की दसवीं कक्षा का जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटो प्रति तथा मुल्या पुत्र रूपा व फूलचन्द शर्मा पुत्र स्व० श्री रूपनारायण शर्मा एक ही व्यक्ति के नाम होने का गजट नोटिफिकेशन मूल ही संलग्न कर पूर्व में निवेदन किया गया है, जिसकी फोटो प्रति पुनः संलग्न कर निवेदन है कृपया प्रार्थी की कृषक हिस्सा भूमि की निम्न जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम मुल्या पुत्र रूपा के स्थान पर फूलचन्द शर्मा पुत्र स्व०श्री रूप नारायण शर्मा के नाम की प्रविष्टि करवाने का कष्ट करावे। बहस प्रार्थी सुनी गयी। बहस प्रार्थी व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने जमाबन्दी सम्वत् 2076 जिसमें प्रार्थी का नाम मूल्या पुत्र रूपा दर्ज है पेश किया। जबकि प्रार्थी का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट वर्ष 1984 में प्रार्थी का नाम फूलचन्द शर्मा पुत्र रूपनारायण शर्मा एवं आधार कार्ड में फूलचन्द शर्मा पुत्र रूपनारायण शर्मा एवं राजस्थान सरकार के राज–पत्र दिनांक 18 मई 2023 में प्रार्थी ने अपने पुराने नाम मूल्या को फूलचन्द शर्मा जाने एवं पहचाने जाने बाबत पेश किया। फर्द मौका रिपोर्ट 13.05.2023 में अंकित [illegible] मूल्या पुत्र रूपा एवं फूलचन्द शर्मा पुत्र रूपनारायण [illegible] एक ही व्यक्ति है। उक्त दस्तावेजात के आधार पर [illegible] मूल्या पुत्र रूपा एवं फूलचन्द शर्मा पुत्र रूपनारायण [illegible] एक ही व्यक्ति होना पाया जाता है। अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मानपुर नांगलिया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:30:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

फूलचन्द बनाम तहसीलदार सांगानेर

प्रार्थना पत्र संख्याः–

पटवार हल्का बीलवा तह0 सांगानेर में स्थित खाता संख्या नया 12 पुराना 7, खाता संख्या नया 18 पुराना 13, खाता संख्या 49 नया पुराना 37, खाता संख्या नया 99 पुराना 83 में प्रार्थी का नाम मूल्या पुत्र रूपा के स्थान पर फूलचन्द शर्मा पुत्र रूपनारायण शर्मा राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:30:27 IST
Reason: SelfAttested